


21/2021

पत्रावली पेश हुई। वदल वकील उभयपक्ष
 कारण सुनी गई। वदल वकील का मकसद
 किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया
 गया। वदल सापल वकील का कथन है कि
 प्रोपेसा सर्वप्रथम हाजिर लगी। सही नहीं बताया
 है। व एक तरफ का कार्यवाही कर दिये का
 निस्तारण कर दिया गया है। प्रार्थनापत्र
 को पुनर्वाह का समुचित अवसर नहीं
 दिया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार कर
 निर्णय दि. 7.2.2014 को निस्तार कर
 पुनः पुनर्वाह का अवसर दिया जावे।

वदल और सापलाह वकील का कथन
 है कि प्रकरण खेने से इकाए मजे की प्रोपेसा
 सखा हास सही रिपोर्ट की है। प्रोपेसा
 सखा की कोई गैर सापलाह से दुश्करी
 नहीं थी जो गलत रिपोर्ट करता उक्त निर्णय
 व डिप्टी जज के एक पक्षीय पारित की गई।
 उक्त न्यायालय में उकील प्रसुत की
 जाकी यादिये थी। प्रार्थनापत्र सापलाह
 खारिज किया जावे।

उक्त वदल का मकसद किया पत्रावली
 का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा हास वदल
 के डिप्टी पारित की गई है। वका की डिप्टी
 व निर्णय की सक्षम न्यायालय में उकील पेश
 करनी चाहिये थी। प्रार्थनापत्र सापल 09
 R/13LPC सार हीन व तच्छ हीन होने के
 कारण खारिज किया जाय है। पत्रावली
 फंसल नुमार होम नम्बर से कर
 होम वाद लकलील दारिखल इफ्त
 हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 करौली (राज.)